[भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग ।।, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

सं. 21/2018-सीमा शुल्क

नई दिल्ली, दिनांक 02 फरवरी, 2018

सा0का0नि0.......(अ)- केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) के साथ पठित, वित्त विधेयक, 2018 (2018 का 4) के खंड 110, जो अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन उक्त वित्त अधिनियम में की गई घोषणा के आधार पर विधि का बल रखती है, द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के शीर्ष 2710 के अन्तर्गत आने वाले मोटर स्पिरिट, सामान्य रूप से ज्ञात पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल ऑयल, का जब उसका भारत में आयात किया जाए तो उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन उस पर उदग्रहणीय उतने अतिरिक्त सीमा शुल्क से, जो वित्त विधेयक, 2018 के उपरोक्त खंड 110 के अधीन मोटर स्पिरिट, सामान्य रूप से ज्ञात पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल ऑयल पर उदग्रहणीय अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (सड़क और अवसंरचना उपकर) के समतुल्य हो, छूट देती है ।

(फा.सं. 334/4/2018-टीआरयू)

(रुचि बिष्ट)
अवर सचिव, भारत सरकार